



इंडियन ऑयल



एनडीएनई, (गैर-घरेलू गैर रियायती) एलपीजी रिटेलरों की नियुक्ति हेतु सूचना

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) मध्य प्रदेश में नीचे दिये गये स्थानों पर वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को पैकड एलपीजी के विपणन हेतु विशेष एनडीएनई एलपीजी रिटेलरों की नियुक्ति का प्रस्ताव करता है:

क्र.	लोकेशन का नाम	जिला	श्रेणी	बाजार का प्रकार	कार्य परिक्षेत्र
1.	भोपाल	भोपाल	खुली	शहरी/ग्रामीण	जिला भोपाल के मार्केट एवं समीपवर्ती जिले सीहोर/विदिशा/राजगढ़
2.	रतलाम	रतलाम	खुली	शहरी/ग्रामीण	जिला रतलाम, मन्सौर एवं झाबुआ के मार्केट
3.	इंदौर	इंदौर	खुली	शहरी/ग्रामीण	जिला इंदौर, जिला उज्जैन एवं जिला देवास के मार्केट
4.	पीथमपुर	पीथमपुर	खुली	शहरी/ग्रामीण	जिला धार एवं जिला खरगोन के मार्केट

पात्रता तथा चयन का विवरण:- चयन के लिए पात्रता/मूल्यांकन मानदण्ड सहित मार्गनिर्देशिका का विवरण तथा आवेदन पत्र का प्रारूप आईओसीएल की वेबसाइट www.iocl.com पर उपलब्ध है/जिसे डाउनलोड किया जा सकता है या निम्नलिखित पते से व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है:

उपरोक्त सभी स्थानों हेतु:- डीजीएम (एलपीजी-सेल्स), इण्डेन एरिया कार्यालय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग), पॉस्टी भंजिल, ब्लॉक-3, पर्यावास भवन, मदन टेरसा रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल, पिनकोड - 462011. टेलीफोन: 0755 - 2552865/2558543

उपरोक्त सभी स्थानों हेतु आवेदन पत्र सहित ₹ 5000/- (रुपये पाँच हजार) का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क भोपाल में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) के पक्ष में देना होगा. इस प्रकार के परिपूर्ण आवेदन पत्र हमारे उपयुक्त पते पर दिनांक 01.03.2020 को अपराह्न 05:00 बजे से पूर्व पहुंच जाने चाहिए.

साधारण शर्तें:

- गैर घरेलू एलपीजी रिटेलर को गैर घरेलू पैकड एलपीजी सिलेण्डर के विपणन के लिए विशेष रूप से चुना जायेगा और उन्हें घरेलू एलपीजी ग्राहकों को नामांकित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले चुने गए प्रत्याशी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.) के पास रु 5 लाख (रुपये पाँच लाख) की ब्याज मुक्त प्रतिदेय राशि जमा करनी होगी.
- यह एक व्यापारिक प्रस्ताव है और इसमें कोई नौकरी या आबस्त प्रामि या लाभ की गारंटी नहीं दी जा सकती है.
- आईओसी बिना कोई कारण बताए स्वनिर्णय के आधार पर यह विज्ञापन रद्द करने/वापस लेने या देय तिथि को आगे बढ़ाने का अधिकार रखती है.

